सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

25/07/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/81

दायरा तिथि : 07.03.2022

आदेश तिथि : 25-07-2024

प्रार्थीगण :–

1. धीरज कुमार पुत्र बाबुलाल सोनी निवासी बाली
2. नारायणलाल पुत्र रुपारामजी जाति चौधरी निवासी सीरवीयों का गुडा सेवाडी
3. मोतीलाल पुत्र उमाराम जाति घांची निवासी बाली
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र जालमसिंजी जाति राजपूत निवासी कोटडा, तहसिल बाली

प्रतिस्थापित

1. श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासी खिन्दावा
2. कांतिलाल घांची पुत्र भूराराम निवासी बिसलपुर
3. कानसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी बेडा
4. परबतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीसेला

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. प्रियंका कुंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत
2. बागसिंह पुत्र जयसिह जाति राजपूत
3. धनि पत्नि जेठूसिंह जाति राजपूत
4. मांगुसिंह सिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत
5. लक्ष्मी नारायण मेघवाल पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी उदयपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 25-07-2024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 354 रकबा 0.8200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 352 रकबा 0.9700 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/1278 दिनांक 09.05.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध अप्रार्थी धनी एवं मांगूसिंह की ओर से वकील श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश की गई। प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर तहसीलदार बाली को खसरा नंबर 359 से रास्ता प्रस्तावित करते हुये पुनः रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/3967 दिनांक 06.02.2023 से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प पैरवा में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी बागसिंह पुत्र जयसिंह द्वारा खसरा नं. 359 से रास्ता देने के लिए मना किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि पूर्व में प्रस्तुत की गई तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.05.2022 के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी श्रवणसिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जिस पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के स्थान पर श्रवणसिंह व अन्य को प्रतिस्थापित किया गया । वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......... 02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/81
अनवान धीरज वगैरा प्रतिस्थापित श्रवणसिह वगैरा बनाम धनी वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कि दोनो रिपोर्टो में वर्णित ट्रैक से प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने पर रास्ते के लिए प्रभावित भूमि का रकबा समकक्ष ही है। चूंकि आवेदक प्रार्थी ने खसरा नं. 352 से रास्ता दिये जाने की मांग की। जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2023/1278 दिनांक 09.05.2022 को तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भागली तहसील बाली के खसरा **नंबर 354** रकबा 0.8200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये ग्राम भागली तहसील बाली के खसरा **नंबर 352** रकबा 0.9700 हैक्टर मेंसे **684 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 109998/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
352	0.97हे.	9X76= 684 वर्गमीटर	11	7524X2= 15048	1. धनी पत्नि जेठूसिंह हिस्सा 22/45 राजपूत 2. मांगुसिंह पुत्र जेठूसिंह हिस्सा 22/45 राजपूत 3. लक्ष्मीनारायण मेघवाल पुत्र रामलाल मेघवाल हिस्सा 1/45 मेघवाल सा. सविना उदयपुर

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **15048/–** (अक्षरे पन्द्रह हजार अडतालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री विमलेन्द्र राणावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बाली

दिनांक : 25-07-2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/909-913
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–
1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, पैरवा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासी खिन्दावा तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बाली

Scanned with CamScanner